भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2433

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

निजी कंपनियों में एलआईसी द्वारा किए गए निवेश

†2433. श्री राजीव राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में सूचीबद्ध निजी कंपनियों में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है और संस्थागत निवेशकों द्वारा हिस्सेदारी में भारी कमी के बावजूद एलआईसी द्वारा अर्जित की गई या बढ़ाई गई अपनी हिस्सेदारी क्या है;

(ख) ऐसे निवेश के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं तथा उचित जांच-पड़ताल की प्रक्रिया क्या है और क्या ये निवेश पूर्ण रूप से व्यावसायिक विचारों पर आधारित थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी संपरीक्षा या समीक्षा द्वारा उनके कार्यनिष्पादन की जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पॉलिसीधारकों की निधि के निवेश में पारदर्शिता, जवाबदेही और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्यमंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सूचीबद्ध कंपनियों में उसका निवेश अलग-अलग स्तर पर रहा है। ऐसी कंपनियों में हिस्सेदारी में किसी तरह की वृद्धि या कमी एलआईसी के स्वतंत्र निवेश मूल्यांकन, अनुमोदित निवेश ढांचे और कंपनी/कंपनियों के भविष्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई थी। एलआईसी ने जिन कंपनियों में निवेश किया है, उनकी सूची प्रदान करना व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है और एलआईसी के वित्तीय हितों को प्रभावित कर सकता है।

(ख): एलआईसी के निवेश बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई निवेश विनियम, एलआईसी अधिनियम 1956, निवेश समिति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित एलआईसी के आंतरिक दिशानिर्देशों, सेबी विनियमों और आरबीआई विनियमों के उपबंधों के साथ-साथ स्टॉक के मूल्यांकन, कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों, मूल्यांकन मेट्रिक्स सहित कारकों पर विचार करके अपने आंतरिक निवेश ढांचे के तहत अनुमोदन प्रक्रिया द्वारा शासित होते हैं। बाजार से संबंधित कारक, कंपनी और कारपोरेट अभिशासन का प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और पोर्टफोलियो संबंधी

विचार और विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध सूचना के आधार पर उचित जांच-पड़ताल, विनियामक फाइलिंग, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटन आदि पर ध्यान दिया जाता है।

निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की इक्विटी में निवेश संबंधी निर्णय इक्विटी निवेश मानदंड और उचित जांच-पड़ताल (ड्यू डिलिजेंस) के आधार पर निवेशकर्ता कंपनी के मूल सिद्धांतों और वित्तीय निष्पादन, व्यावसायिक संभावनाओं आदि जैसे कारकों पर विचार करने और इस संबंध में निर्धारित मानदंडों और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने के बाद लिए जाते हैं।

(ग) और (घ): भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि समवर्ती लेखा परीक्षक सभी निवेश लेन-देन के लिए स्वतंत्र रूप से जांच और नियंत्रण का सत्यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन प्रक्रियाओं की समीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों, सिस्टम लेखा परीक्षकों, आईएफसी लेखा परीक्षकों और सूचना प्रणाली लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है। एलआईसी ने पॉलिसीधारकों के फंड के निवेश में पारदर्शिता, जवाबदेही और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के संबंध में निम्नलिखित कदमों की जानकारी दी है -

(i) इक्विटी निवेश आईआरडीएआई, बीमा अधिनियम, अनुमोदित निवेश नीति और एसओपी के विनियामक ढांचे के भीतर किए जाते हैं, जो निवेश निर्णयों, सीमाओं और अनुमोदनों के लिए व्यापक मानदंड प्रदान करते हैं।

(ii) पोर्टफोलियो के रिटर्न की तुलना बेंचमार्क, उद्योग मानकों और उद्देश्यों से की जाती है। इक्विटी/यूलिप निवेश के लिए बेंचमार्क एनएसई 200 इंडेक्स/एनएसई 100 इंडेक्स है।

(iii) पोर्टफोलियो की समीक्षा समय-समय पर (मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक) की जाती है और सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। फंड के दीर्घकालिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अवधियों में प्रदर्शन की स्थिरता का मूल्यांकन किया जाता है।

(iv) आस्ति आबंटन और क्षेत्र के एक्सपोजर की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निवेश कार्यनीति, जोखिम सहिष्णुता, विनियामक दिशा-निर्देशों और उत्पाद अधिदेशों के अनुरूप हैं।

(v) आवश्यकतानुसार पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन किया जाता है। निवेश पोर्टफोलियो की समय-समय पर एलआईसी निवेश समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

(vi) स्टॉक मूल्यों में लगातार गिरावट की निगरानी करने के लिए एक स्टॉप लॉस तंत्र मौजूद है और ऐसे स्टॉकों को समीक्षा के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
